भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2318

सोमवार, 3 अगस्त, 2026 / 12 श्रावण, 1948 (शक)

तमिलनाडु में पीएम-एसवाईएम की स्थिति

†2318. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना' (पीएम-एसवाईएम) के आरंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत नामांकित कामगारों की कुल संख्या कितनी है और आज की तिथि के अनुसार तमिलनाडु के भीतर सक्रिय ग्राहकों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत राज्य में एकत्र किए गए कुल अंशदान और वितरित की गई कुल पेंशन का ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण, असंगठित और सीमांत समुदायों के लाभार्थियों के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं कि महिला कामगारों को यथोचित रूप से समाविष्ट किया जाए;

(घ) खातों के निष्क्रिय या व्यपगत होने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उक्त योजना में प्रतिधारण और भागीदारी में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) पीएम-एसवाईएम लाभार्थियों को अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याणकारी पहलों के साथ जोड़ने के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा कामगारों को पीएम-एसवाईएम के बारे में शिक्षित करने के लिए आयोजित वित्तीय साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा नामांकन बढ़ाने में उनकी प्रभावशीलता कितनी है; और

(छ) सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में पीएम-एसवाईएम योजना की कवरेज, लाभों और पहुंच को बढ़ाने के लिए किन नई पहलों या नीतिगत उपायों की योजना बनाई गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (छ): प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी, 2019 में पीएम-एसवाईएम योजना शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 3,000/- रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के वे कामगार जिनकी मासिक आय 15,000/- रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/ एनपीएस (केंद्र सरकार द्वारा अंशदान वाले) के सदस्य नहीं हैं या आयकर दाता नहीं हैं, इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। मासिक अंशदान की राशि लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर 55/- रुपये से लेकर 200/- रुपये तक होती है। इस योजना के अंतर्गत, 50% मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय होता है और इसके बराबर का समान अंशदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। योजना में नामांकन देश भर में लगभग 4 लाख केंद्रों के नेटवर्क वाले सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। पात्र असंगठित कामगार स्वयं पोर्टल www.maandhan.in पर जाकर अपना नामांकन कर सकते हैं।

जारी.../-2

पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत दिनांक 29.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार, देश भर में 54 लाख से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया जा चुका है। इस योजना में महिला असंगठित कामगारों की भागीदारी 53.1% है।

पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत पूरे देश में सरकार का 50 प्रतिशत का समान अंशदान 2,011.01 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, लाभार्थियों को पेंशन 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर शुरू होगी। चूंकि यह योजना फरवरी, 2019 में शुरू की गई थी, इसलिए पेंशन का संवितरण फरवरी, 2039 से पहले शुरू नहीं होगा।

पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत, अंशधारक के खाते मुख्य रूप से विनिर्दिष्ट मासिक अंशदान का भुगतान न करने के कारण निष्क्रिय हो सकते हैं, जो अंशधारक के बैंक खाते में अपर्याप्त राशि होने, जुड़े हुए बैंक खाते के बदलने या बंद होने, या नियमित अंशदान के संबंध में निरंतर जागरूकता की कमी के कारण हो सकता है।

पंजीकरण बनाए रखने की दर में सुधार करने, भागीदारी बढ़ाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
(ii) पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को नामांकित करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को प्रोत्साहन प्रदान करना।
(iii) स्वैच्छिक निकास, पुनरुद्धार मॉड्यूल, दावा स्थिति और खाता विवरण जैसी नई सुविधाएं शुरू करना।
(iv) निष्क्रिय खातों की पुन:सक्रिय अवधि (रिवाइवल पीरियड) को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करना।
(v) ई-श्रम पोर्टल के साथ पीएम-एसवाईएम का टू-वे एकीकरण।
(vi) जागरूकता बढ़ाने के लिए एसएमएस अभियान चलाना।
(vii) पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को संबोधित करना।
(viii) योजना के अंतर्गत असंगठित कामगारों के नामांकन के लिए देशव्यापी विशेष पंजीकरण अभियान का आयोजन करना।
